



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 14.07.2021

1-थाना बीटा 2 पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड के दौरान 25,000 रूपये का इनामी बदमाश घायल अवस्था में गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार मय कारतूस व घटना में प्रयुक्त चोरी की मोटरसाइकिल बरामद।

दिनांक 13.07.2021 को थाना बीटा 2 पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान थाना क्षेत्र के चुहडपुर अण्डर पास के पास परिचौक जाने वाली सर्विस रोड पर पुलिस मुठभेड के दौरान 25,000 रूपये का इनामी बदमाश वसीम पुत्र इकबाल निवासी मौहल्ला बादशाह नगर, नई आबादी कस्बा व थाना दादरी गौतमबुद्धनगर को पैर में गोली लगने के कारण घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। घायल बदमाश के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 खोखा कारतूस, 02 जिन्दा कारतूस व घटना में प्रयुक्त चोरी की 01 मोटरसाइकिल नं0 यूपी 16 एबी 6638 बरामद की गई है।

अभियुक्त थाना दादरी के मु0अ0सं0- 836/2020 धारा 307/411/420 भादवि मे वांछित चल रहा था।

अभियुक्त का विवरण:

वसीम पुत्र इकबाल निवासी मौहल्ला बादशाह नगर, नई आबादी कस्बा व थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।

पंजीकृत अभियोग/अपराधिक इतिहास का विवरण:

1.मु0अ0सं0 733/2021 धारा 307 (पुलिस मुठभेड),411,482 भादवि थाना बीटा 2 गौतमबुद्धनगर।

2.मु0अ0सं0 734/2021 धारा 25/27 आयुध अधिनियम थाना बीटा 2 गौतमबुद्धनगर।

3.मु0अ0सं0 836/2020 धारा 307,411,420 भादवि थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।

4.मु0अ0सं0 195/2018 धारा 147,148,149,307,120बी,34 भादवि थाना दादरी गौतम बुद्ध नगर

5.मु0अ0सं0 778/10 धारा 323 भादवि व 3(1)(10) एससी एसटी एक्ट थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।

6.मु0अ0सं0 559/18 धारा 366 भादवि थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।

7.मु0अ0सं0 388/21 धारा 504/506 भादवि व 67 आईटी एक्ट थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण:

1.01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 खोखा कारतूस, 02 जिन्दा कारतूस

2.घटना में प्रयुक्त चोरी की 01 मोटरसाइकिल नं0 यूपी 16 एबी 6638

2-थाना ईकोटेक-3 पुलिस द्वारा फर्जी रूप से उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी पहने 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से पुलिस की वर्दी, पुलिस कार्ड, टोपी, बेल्ट, उ0प्र0पु0 बैज, 01 मोबाइल व 01 मोटरसाइकिल बरामद।

दिनांक 13.07.2021 को थाना ईकोटेक-3 पुलिस द्वारा फर्जी रूप से उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी पहने 01 अभियुक्त कृष्णवीर पुत्र चन्द्रभान सिंह निवासी ग्राम मगोर्ला थाना मगोर्ला जनपद मथुरा वर्तमान पता चावडा का मकान, शहीद द्वार, ग्राम सूरजपुर, थाना सूरजपुर जनपद गौतमबुद्धनगर को थाना क्षेत्र के सुत्याना कट से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 01 पुलिस की खाकी वर्दी, गोल टोपी उ0प्र0पु0 ताज लगा हुआ ,बेल्ट, बैज उ0प्र0पु0, 01 पुलिस कार्ड, 01 मोटरसाइकिल जिस पर पुलिस लिखी प्लेट है व 01 मोबाइल फोन वीवो जिसमें अभियुक्त के पुलिस वर्दी के फोटो व आर्मी वर्दी के फोटो है बरामद हुए है।

अभियुक्त का विवरण:

कृष्णवीर पुत्र चन्द्रभान सिंह निवासी ग्राम मगोर्ला थाना मगोर्ला जनपद मथुरा वर्तमान पता चावडा का मकान, शहीद द्वार, ग्राम सूरजपुर, थाना सूरजपुर जनपद गौतमबुद्धनगर।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:

मु0अ0सं0 463/21 धारा 171,420,468,471 भादवि थाना ईकोटेक-3 गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण:

1.01 पुलिस की खाकी वर्दी, गोल टोपी उ0प्र0पु0 ताज लगा हुआ ,बेल्ट, बैज उ0प्र0पु0, 01 पुलिस कार्ड,

2.01 मोटरसाइकिल जिस पर पुलिस लिखी प्लेट है।

3.01 मोबाइल फोन वीवो (जिसमें अभियुक्त के पुलिस वर्दी के फोटो व आर्मी वर्दी के फोटो है)।



3-थाना फेस-3 नोएडा पुलिस द्वारा दहेज के लिए हत्या करने वाले 01 महिला अभियुक्ता सहित 03 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 13.07.2021 को वादी श्री रामजीलाल पुत्र पतलु यादव निवासी ग्राम हुसैपुर दोला रामनगर, थाना एकमा, जिला छपरा बिहार ने थाना फेस-3 पर आकर तहरीर दी थी की उनकी पुत्री की अभियुक्त 1.विनोद (पति) पुत्र सुरेश यादव निवासी चमराहियाँ, थाना दाउदपुर, जिला छपरा वर्तमान पता ओमकार यादव का मकान ग्राम गढ़ी चौखण्डी थाना फेस 3 नोएडा जिला गौतमबुद्धनगर 2. सुरेश (ससुर) 3. सरिता देवी (सास) 4. सुबोध कुमार (देवर) द्वारा दहेज में कार आदि की मांग पूरी न करने पर मानसिक व शारिरिक रूप से प्रताड़ित कर हत्या कर देने के सम्बन्ध में थाना फेस 3 पर मु0अ0सं0 704/21 धारा 498 ए, 304 बी भादवि व 3/4 दहेज अधिनियम पंजीकृत किया गया। जिसमें पुलिस द्वारा अति शीघ्र कार्यवाही करते हुये दिनांक 14.07.2021 को अभियुक्त 1. विनोद कुमार राय पुत्र सुरेश राय निवासी ग्राम चमराहियाँ थाना दाउदपुर जिला छपरा बिहार वर्तमान पता ओमकार यादव का मकान, ग्राम गढ़ी चौखण्डी, थाना फेस 3 नोएडा जिला गौतमबुद्धनगर 2. सुरेश राय पुत्र गामाराय व 01 महिला अभियुक्ता सरिता देवी पत्नी सुरेश राय को थाना क्षेत्र के हिन्दन नदी के पास क्रिकेट स्टेडियम पर से गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्तो का विवरण:

1. विनोद कुमार राय पुत्र सुरेश राय निवासी ग्राम चमराहियाँ थाना दाउदपुर जिला छपरा बिहार वर्तमान पता ओमकार यादव का मकान, ग्राम गढ़ी चौखण्डी, थाना फेस 3 नोएडा जिला गौतमबुद्धनगर।
2. सुरेश राय पुत्र गामाराय निवासी ग्राम चमराहियाँ थाना दाउदपुर जिला छपरा बिहार वर्तमान पता ओमकार यादव का मकान, ग्राम गढ़ी चौखण्डी, थाना फेस 3 नोएडा जिला गौतमबुद्धनगर।

अभियुक्ता का विवरण:

सरिता देवी पत्नी सुरेश राय निवासी ग्राम चमराहियाँ थाना दाउदपुर जिला छपरा बिहार वर्तमान पता ओमकार यादव का मकान, ग्राम गढ़ी चौखण्डी, थाना फेस 3 नोएडा जिला गौतमबुद्धनगर।

अभियोग का विवरण:

मु0अ0सं0 704/21 धारा 498 ए /304 बी भादवि व 3/4 दहेज अधिनियम थाना फेस-3 गौतमबुद्धनगर।

4-थाना फेस-3 नोएडा पुलिस द्वारा बयान बदलने के लिए गवाह को धमकाने वाले 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 13.07.2021 को थाना फेस-3 नोएडा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 665/21 धारा 195ए, 506 भादवि थाना फेस-3 में वांछित 02 अभियुक्त 1. धर्मेन्द्र कुमार सिंह पुत्र स्व0 नागेश्वर सिंह निवासी ग्राम ठाठा, थाना मानसी, जिला खगरिया बिहार वर्तमान पता ग्राम बहलोलपुर, थाना फेस 3 नोएडा 2. जगवीर सरदार पुत्र किशनलाल निवासी ग्राम रसूलपुर, थाना बाबूगढ, जिला हापुड, वर्तमान पता बबीता कॉलोनी ग्राम बहलोलपुर, थाना फेस 3 नोएडा को थाना क्षेत्र के गढ़ी गोल चक्कर के पास हिण्डन पुस्ता रोड से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों द्वारा श्री विक्रम सिंह पुत्र रामकिशोर निवासी ग्राम बहलोलपुर को बयान बदलने के लिए धमकाया जा रहा था।

अभियुक्तों का विवरण:

1. धर्मेन्द्र कुमार सिंह पुत्र स्व0 नागेश्वर सिंह निवासी ग्राम ठाठा, थाना मानसी, जिला खगरिया बिहार वर्तमान पता ग्राम बहलोलपुर, थाना फेस 3 नोएडा।
2. जगवीर सरदार पुत्र किशनलाल निवासी ग्राम रसूलपुर, थाना बाबूगढ, जिला हापुड, वर्तमान पता बबीता कॉलोनी ग्राम बहलोलपुर, थाना फेस 3 नोएडा।

अभियोग का विवरण:

मु0अ0सं0 665/21 धारा 195ए/506 भादवि थाना फेस-3 गौतमबुद्धनगर।

5-थाना फेस-3 नोएडा पुलिस द्वारा फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज चलाकर गेटवे के माध्यम से इन्टरनेशनल कॉल को लोकल कॉल में कनवर्ट कर भारत सरकार को राजस्व हानि पहुंचाने वाला 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 14.07.2021 को थाना फेस-3 नोएडा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 408/2021 धारा 420, 120बी भादवि व 4,20,21,25 तार अधि0 थाना फेस-3 गौतमबुद्धनगर में वांछित अभियुक्त दिनेशचन्द पुत्र मगलेश निवासी म0नं0 140, ग्राम हूलू विचपुरी, थाना राया जनपद मथुरा को थाना फेस-3 क्षेत्र के सेक्टर 62 गोल चक्कर के पास से गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्त का विवरण:

दिनेशचन्द पुत्र मगलेश निवासी म0नं0 140 ग्राम हूलू विचपुरी थाना राया जनपद मथुरा।

अभियोग का विवरण:

मु0अ0सं0 408/2021 धारा 420,120बी भादवि व 4,20,21,25 तार अधि0 थाना फेस-3 गौतमबुद्धनगर।



6-थाना बीटा-2 पुलिस द्वारा 02 वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से 01 मोटरसाइकिल मय फर्जी नम्बर प्लेट बरामद।

दिनांक 14/07/2021 को थाना बीटा 2 पुलिस द्वारा 02 वाहन चोर 1. छोटू सिंह पुत्र बिजेन्द्र सिंह निवासी भैयापुर, थाना जहांगीराबाद, जनपद बुलंदशहर वर्तमान निवासी ए 447, ज्यूँ 2, ग्रेटर नोएडा, जनपद गौतमबुद्धनगर 2. पंकज कुमार पुत्र सतवीर सिंह निवासी

राघवगढ़ी, थाना टप्पल, जनपद अलीगढ़ वर्तमान निवासी राठी मेडिकल के पीछे, घरबरा रोड, कासना, ग्रेटर नोएडा जिला गौतमबुद्धनगर को थाना बीटा 2 क्षेत्र के डोमिनोज गोल चक्कर के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 01 स्लेंडर मोटरसाइकिल व 01 फर्जी नंबर प्लेट नं0-एचआर 14 एफ 7721 बरामद की गई है।

अभियुक्तों का विवरण:

1. छोटू सिंह पुत्र बिजेंद्र सिंह निवासी भैयापुर थाना जहांगीराबाद जनपद बुलंदशहर वर्तमान निवासी ए 447, ज्युं 2, ग्रेटर नोएडा, जनपद गौतमबुद्धनगर।
2. पंकज कुमार पुत्र सतवीर सिंह निवासी राघवगढ़ी, थाना टप्पल, जनपद अलीगढ़ वर्तमान निवासी राठी मेडिकल के पीछे, घरबरा रोड, कासना, ग्रेटर नोएडा जिला गौतमबुद्धनगर।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:

मु0अ0सं0- 736/2021 धारा 411,414,482 भादवि थाना बीटा 2 गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण:

01 स्लेंडर मोटरसाइकिल व 01 फर्जी नंबर प्लेट नं0-एचआर 14 एफ 7721



7-थाना सेक्टर 58 नोएडा पुलिस द्वारा चार पहिया वाहन चोर मो0 अली जैदी गिरोह का 01 सदस्य अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 इनोवा कार बरामद।

दिनांक 13.07.2021 को थाना सेक्टर-58, नोएडा पुलिस द्वारा चार पहिया वाहन चोर मो0 अली जैदी गिरोह का 01 सदस्य अभियुक्त आरिफ हुसैन उर्फ राहुल पुत्र साविर हुसैन निवासी ग्राम विशनपुर भीमाठेर थाना सिविल लाइन जनपद मुरादाबाद को थाना क्षेत्र

के एलीवेटेड रोड चौकी सेक्टर-60 के सामने से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की 01 इनोवा कार रजि0 नं0 पीबी 11 सीएक्स 1159 बरामद की गई है। इनोवा कार थाना गोविन्दपुरी दिल्ली से दिनांक 04.07.2021 को चोरी की है जिसके सम्बन्ध में थाना गोविन्दपुरी साउथ ईस्ट दिल्ली पर मु0अ0सं0-17792/21 धारा 379 भादवि पंजीकृत है तथा अभियुक्त जनपद लखनऊ के थाना चिनहट मु0अ0सं0-423/2020 धारा 411,413, 414, 419, 420, 467, 468, 471, 484, 120बी भादवि में दिनांक 21.06.2021 से लगातार वांछित चल रहा था।

अभियुक्त का विवरण:

आरिफ हुसैन उर्फ राहुल पुत्र साविर हुसैन निवासी ग्राम विशनपुर भीमाठेर थाना सिविल लाइन जनपद मुरादाबाद।

अपराधिक इतिहास का विवरण:

- 1.मु0अ0सं0-622/21 धारा 411, 414, 482, 120बी, 34 भादवि थाना सेक्टर-58, गौतमबुद्धनगर।
- 2.मु0अ0सं0-423/2020 धारा 411,413, 414, 419, 420, 467, 468, 471, 484, 120बी भादवि थाना चिनहट जनपद लखनऊ।
- 3.मु0अ0सं0-17792/21 धारा 379 भादवि थाना गोविन्दपुरी साउथ ईस्ट दिल्ली।
- 4.मु0अ0सं0-26/17 धारा 468, 471, 482, 120बी भादवि थाना ई पुलिस स्टेशन एमवी थेफ्ट दिल्ली।
- 5.मु0अ0सं0-3860/17 धारा 379, 411 भादवि थाना ई पुलिस स्टेशन एमवी थेफ्ट दिल्ली।
- 6.मु0अ0सं0-1210/17 धारा 379, 411 भादवि थाना ई पुलिस स्टेशन एमवी थेफ्ट दिल्ली।
- 7.मु0अ0सं0-38033/17 धारा 379, 411, 34 भादवि थाना मौर्या इंकलेव दिल्ली।

बरामदगी का विवरण:

01 इनोवा कार रजि0 नं0 पीबी 11 सीएक्स 1159 (सम्बन्धित थाना गोविन्दपुरी साउथ ईस्ट दिल्ली पर मु0अ0सं0-17792/21 धारा 379 भादवि)



8- थाना सेक्टर 58 पुलिस द्वारा दो पहिया वाहन चोरो से चोरी के वाहन खरीद कर वाहन को काट कर बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से भारी मात्रा में चोरी के वाहनो का सामान, 02 मोबाइल फोन, 20,000 रूपये नकद व 01 ईको कार बरामद।

दिनांक 13.07.2021 को थाना सेक्टर-58 नोएडा पुलिस द्वारा दो पहिया वाहन चोरो से चोरी के वाहन खरीद कर वाहन को काट कर बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 03 अभियुक्त 1. विकास चौहान पुत्र जगन्नाथ चौहान निवासी 33/110 नियर मदीना मस्जिद त्रिलोकपुरी थाना मयूर विहार फेस 1 दिल्ली 2. सुहैल पुत्र पप्पू निवासी मदिना मस्जिद के पास त्रिलोकपुरी, दिल्ली 3. जगदेव प्रसाद पुत्र लीलाधर प्रसाद निवासी झुग्गी झोपड़ी सेक्टर 09 थाना सेक्टर 20 नोएडा को थाना सेक्टर 58 क्षेत्र के लेवर चौक के सामने से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से मोटर साइकिल के 05 अगले एलोय व्हील मय टायर मय शोकर, 04 तिल्ली वाले व्हील मय टायर मय शोकर व 01 स्कूटर का अगला व्हील मय टायर मय शोकर, 08 स्कूटर की टंकी, 02 स्कूटर के इंजन मय पहिया, स्कूटर के 12 हैडल व 20,000 रूपये नकद, 02 मोबाइल फोन व 01 ईको कार डीएल 14 सीबी 0503 बरामद हुए है।

अभियुक्तों का विवरण:

1. विकास चौहान पुत्र जगन्नाथ चौहान निवासी 33/110 नियर मदीना मस्जिद त्रिलोकपुरी थाना मयूर विहार फेस 1 दिल्ली।
2. सुहैल पुत्र पप्पू निवासी मदिना मस्जिद के पास त्रिलोकपुरी दिल्ली।

3. जगदेव प्रसाद पुत्र लीलाधर प्रसाद निवासी झुग्गी झोपड़ी सेक्टर 09 थाना सेक्टर 20 नोएडा।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:

मु0अ0सं0-621/21 धारा 414 भादवि थाना सेक्टर-58, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण:

- 1.मोटर साइकिल के पांच अगले एलोय व्हील मय टायर मय शोकर,
- 2.04 तिल्ली वाले व्हील मय टायर मय शोकर
- 3.01 स्कूटर का अगला व्हील मय टायर मय शोकर
4. 08 स्कूटर की टंकी
- 5.02 स्कूटर के इंजन मय पहिया
- 6.स्कूटर के 12 हैडल
- 7.20,000 रूपये नकद
- 8.02 मोबाइल फोन व
- 9.01 ईको कार डीएल 14 सीबी 0503



9- थाना फेस 2 नोएडा पुलिस द्वारा नाबालिग लडकी को बन्धक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

थाना फेस 2 नोएडा पुलिस द्वारा नाबालिग लडकी को बन्धक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाला 01 अभियुक्त अब्दुल रहीम उर्फ बिट्टू पुत्र बानी इजराईल शेख निवासी शमसेर गंज धुलियाँ जिला मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल वर्तमान पता दीपक का मकान सेक्टर 81 थाना फेस 2 गौतमबुद्धनगर को उसके निवास स्थान से गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्त का विवरण:

अब्दुल रहीम उर्फ बिट्टू पुत्र बानी इजराईल शेख निवासी शमसेर गंज धुलियाँ जिला मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल वर्तमान पता दीपक का मकान सेक्टर 81 थाना फेस 2 गौतमबुद्धनगर।

अभियोग का विवरण:

मु0अ0सं0 400/2021 धारा 363/366/342/376 भादवि व 5/6 पोक्सो एक्ट थाना फेस 2 गौतमबुद्धनगर।



थाना फेस 3 पुलिस की महिला सुरक्षा टीम द्वारा ऑपरेशन मुस्कान के अंतर्गत गुमशुदा नाबालिग लड़की को तलाश कर परिजनों से मिलाया

पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देशानुसार अपर पुलिस आयुक्त मुख्यालय व पुलिस उपायुक्त महिला सुरक्षा के नेतृत्व में चलाए जा रहे ऑपरेशन मुस्कान के अंतर्गत गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 14.07.2021 को थाना फेस 3 पुलिस की महिला सुरक्षा टीम द्वारा एक गुमशुदा नाबालिग लड़की को तलाश कर परिजनों के सुपुर्द किया गया है। उक्त लड़की अपने परिजनों से नाराज़ होकर बिना बताए घर से निकल गई थी, जिस पर सूचना पाकर थाना फेस 3 पुलिस

द्वारा कड़ी मशक्कत करते हुए उक्त लड़की को ढूंढकर ऑपरेशन मुस्कान के तहत उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया। गुमशुदा लड़की को पाकर परिजनों द्वारा पुलिस का आभार व्यक्त किया गया व प्रशंसा जाहिर की गई।

दिनांक 14.07.2021 को विशेष न्यायालय पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर के आदेशानुसार महिला सम्बन्धी , गंभीर प्रकृति के 11 अपराधियों को किया गया जिला बदर

पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के नेतृत्व में कमिश्नर गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अपराधियों के विरुद्ध निरंतर स्तर पर कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। इस कड़ी में आज विशेष न्यायालय पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर द्वारा 11 अपराधियों 1. अजय पुत्र मुन्ना राम संबंधित वाद संख्या 042/2020 थाना सेक्टर 20 धारा गुंडा अधिनियम 2. अब्दुल्लाह पुत्र कमरुद्दीन संबंधित वाद संख्या 192/2020 थाना दादरी धारा गुंडा अधिनियम 3. कलुआ पुत्र बुद्धु संबंधित वाद संख्या 105/2020 थाना सूरजपुर धारा गुंडा अधिनियम 4. भगत पुत्र श्योराज संबंधित वाद संख्या 344/2020 थाना दादरी धारा गुंडा अधिनियम 5. मोईन पुत्र बालू संबंधित वाद संख्या 232/2020 थाना दादरी धारा गुंडा अधिनियम 6. लक्की गुप्ता पुत्र अनुराग गुप्ता संबंधित वाद संख्या 400/2020 थाना सेक्टर 39 धारा गुंडा अधिनियम 7. आकाश पुत्र विनोद संबंधित वाद संख्या 302/2020 थाना सेक्टर 39 धारा गुंडा अधिनियम 8. सुमित पुत्र जगत सिंह संबंधित वाद संख्या 153/2020 थाना बिसरख धारा गुंडा अधिनियम 9. माजिद पुत्र ताहिर संबंधित वाद संख्या 297/2020 थाना दनकौर धारा गुंडा अधिनियम 10. चिटू पुत्र गंगा सिंह संबंधित वाद संख्या 401/2020 थाना सेक्टर 39 धारा गुंडा अधिनियम 11. मयंक गोयल पुत्र बल्लू उर्फ शिव कुमार संबंधित वाद संख्या 015/2020 थाना दादरी धारा गुंडा अधिनियम को कमिश्नर गौतमबुद्धनगर की सीमा से जिला बदर किया गया है।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अपराधियों के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार की कड़ी कार्यवाही निरंतर स्तर पर जारी रहेगी।